न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी प्रतिमा वर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 63 / 20 प्रार्थना पत्र

1. श्रीमती तारा पत्नी स्व. गिरधारी जी मेघवाल, उम्र–54 वर्ष, निवासी– मेघवालों की घाटी, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री कमलेश पिता गिरधारी जी मेघवाल, उम्र–24 वर्ष, निवासी– मेघवालों की घाटी, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री नरेन्द्र पिता गिरधारी जी मेघवाल, उम्र–22 वर्ष, निवासी– मेघवालों की घाटी, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्री पुष्कर पिता गिरधारी जी मेघवाल, उम्र–20 वर्ष, निवासी– मेघवालों की घाटी, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता भेरा जी मेघवाल, उम्र– वयस्क, निवासी–गोविन्दपुर, काया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री सवा पिता हिरा जी मेघवाल, उम्र–80 वर्ष, निवासी– मेघवालों की घाटी, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री खेमराज डांगी अधिवक्ता प्रार्थीगण,

श्री नरपत सिंह चुण्डावत अधिवक्ता विपक्षी–1 उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21.09.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीए के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व ग्राम देबारी पटवार मण्डल देबारी तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 2418, 4135, 4158, 4176, 4177, 4179 किता 6 रकबा 0.3200 हेक्टयर भूमि का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या एक व दो के खानदान में राजस्व ग्राम देबारी की खातेदारी में उक्त वादग्रस्त आराजीयात दर्ज थी। हिरा के तीन वारिस भेरा, गांगा, सवा हुए। गांगा के पुत्र गिरधारी एवं गिरधारी के वारिस वादीगण हुए। उक्त भेरा पिता हीरा जी मेघवाल अपने नाना श्री नाथुजी मेघवाल निवासी काया के यहां करीब 75 वर्ष पहले जाति रस्म रिवाज अनुसार गोद चले तथा वहां दत्ताक पुत्र की हैसियत से

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

...ी व नाथुजी की मृत्यू के बाद नाथु जी की खेती की जमीन भेरा पिता नाथु के नाम दर्ज हुई तथा भेरा की मृत्यु के बाद काया की आराजीयात विपक्षी संख्या 1 उसके भाई चतरा पिता भेरा मेघवाल के नाम दर्ज हुई। जिसके आराजी नम्बर ...1, 1419, 1421, 1422, 1423, 1425, 1426, 1427, 4443 कुल किता 9 रकबा ... बीघा 14 बिस्वा भूमि है। उक्त भेरा के गोद जाने के बाद हीरा की मृत्यु हो गई, जिससे हिरा की मौजा देबारी में स्थित उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण भेरा, गांगा, सवा तीनों पुत्रों के नाम भेरा जो कि बड़ा था, पटवारी हल्का से मिलकर खुलवा लिया जबकि भेरा के गोद चले जाने से हिरा की उक्त आराजीयात में भेरा का कोई हक व अधिकार नही रहा है। हीरा की उक्त आराजीयात के तमाम मालिक एवं आधिपत्यधारी प्रार्थीगण के मौरूस गांगा व विपक्षी नम्बर 2 सवा हुए। गांगा एवं सवा का ही उक्त आराजीयात पर कब्जा चला आया है एवं गांगा की मृत्यु के बाद गांगा के वारिसान प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 सवा संयुक्त रूप से काबिज चले आये है। उक्त भेरा की मृत्यु होने पर विपक्षी नम्बर 1 मांगीलाल ने भेरा का नामान्ताकरण अपने नाम खुलवा स्वीकृत करा लिया है, जो बिना किसी अधिकार के कराया है। उससे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 2 सवा के हक व अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी 2 सवा का 1/2 हिस्सा होकर इसी हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी 2 ने अपनी सुविधा अनुसार खेती करने हेतु आपसी बंटवाडा कर रखा है जिसके अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे में आराजी नम्बर 4135, 4158, 4177 तथा विपक्षी 2 के कब्जे में आराजी नम्बर 2418, 4179, 4176 स्थित है। विपक्षी नम्बर 1 का उक्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए महज विपक्षी नम्बर 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से लड़ाई झगड़ा करता है व जमीन पर कब्जा करने व बेचने की धमकी दे रहा है तथा विपक्षी नम्बर 1 ने तारीख 25.07.2020 को जबरन कब्जा करने व अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करने की धमकी दी है। यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेद्याज्ञा से नहीं रोका गया तो विपक्षी नम्बर 1 प्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर देंगे व भूमि को विक्रय हस्तान्तरण कर देंगे, जिससे प्रार्थीगण को भरी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी।

अतः ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा नहीं करें, न किसी को विक्रय हस्तान्तरण करें, न खुर्द–बुर्द करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें, न किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचावे, मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

...अधि... गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी संख्या दो द्वारा सम्मन का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई जाने में कोई आपत्ती नहीं है। अतः विपक्षी संख्या एक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे का कथन किया गया। विपक्षी संख्या एक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण ने सजरे में भेरा को गोदपुत्र अंकित किया गया है जो गलत है। स्वर्गीय भेरा मूल पुत्र हीरा की जायन्दा संतान है। हीरा के तीन पुत्र भेरा, गांगा रावा थे। तीनों ही हीरा की सम्पति में 1/3 हिस्से के अधिकारी है। स्वर्गीय भेरा अपने नाना नाथुजी मेघवाल के गोद नही गया है, नही विधिनुसार कोई गोद की प्रक्रिया सम्पन्न की गई है। इस प्रकार प्रार्थीगणो का यह कथन असत्य है कि 75 वर्ष पूर्व भेरा अपने नाना नाथु के यहां गोद चला गया हो बल्कि लाड प्यार से दोहिते के नाते भेरा नानाजी के पास रहता था। भेरा नाथुजी का गोदपुत्र नहीं था। राजस्व रेकार्ड में गलती से पिता का नाम नाथु अंकित हो गया है। मांगीलाल व चतारा के खाते में ग्राम काया की भूमि जो आई है वो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसरण में आई है क्योंकि इस कलम में वर्णित आराजीयात स्वर्गीय भेरा के खाते दर्ज थी व भेरा की मृत्यु पश्चात विपक्षी संख्या 1 व उसके भाई चतारा के खाते विधिनुसार दर्ज हुई है। इस प्रकार ग्राम देबारी की भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर विधिनुसार अंकित है। विपक्षी संख्या एक का नाम राजस्व रेकार्ड में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधिनुसार अंकित है वह अपने हिस्से पर काबिज है। विपक्षी संख्या एक को अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार है।

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेद्याज्ञा निरस्त फरमाया जावे तथा विपक्षी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में प्रार्थीगण कोई दखलअन्दाजी नहीं करे, इस आशय की अस्थाई निषेद्याज्ञा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सूनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात के सम्बध में प्रार्थना पत्र का मूलवाद विपक्षी प्रार्थीगण को 1/2 हिस्से एवं विपक्षी संख्या 2 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के सम्बध में वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वादगस्त हीरा के नाम दर्ज थी। हीरा के तीन वारिस हुए। जिसमें सबसे बड़ा पुत्र भेरा हुआ जो अपने नाना नाथु के गोद चला गया तथा नाथु की मृत्यु के पश्चात नाथु के खातेदारी की राजस्व ग्राम काया में दर्ज भूमि भेरा के नाम दर्ज हुई एवं भेरा की मृत्यु के पश्चात विपक्षी संख्या एक तथा उसके भाई चतारा के नाम दर्ज हुई। जबकि हीरा के नाम राजस्व ग्राम देबारी की वादग्रस्त

आराजीयात तीनों पुत्रों भेरा, गांगा व सवा के नाम 1/3 प्रत्येक के हिस्से से दर्ज हो गई, परन्तु उक्त आराजीयात भेरा के गोद चले जाने से गांगा व सवा के नाम 1/2 प्रत्येक के हिस्से से दर्ज होनी थी। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य पूर्व में प्रस्तुत दावा 2004 में समझौता भी हो चुका है। उक्त समझौते में मांगीलाल द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि भेरा अपने नाना नाथु के गोद गया था। अतः भेरा के अपने नाना के गोद चले जाने से हीरा की भूमि में उसका कोई हक व हिस्सा निहित नहीं रहता है। परन्तु विपक्षी के नाम पर गलत तरीके से 1/3 हिस्सा दर्ज हो जाने से वह प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं वादग्रस्त आराजीयात में अपने नाम दर्ज 1/3 हिस्से को बेचने पर आमादा है। अगर विपक्षी संख्या एक अपने नाम दर्ज भूमि का विक्रय कर देता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. (11) 2004 पेज 248, 1996 (3) आर.बी.जे. पेज 169 एवं आर.आर.टी. 2003(1) पेज 647 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विपक्षी संख्या एक अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बध में वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण, खाते की नकल प्रस्तुत नहीं की गई है। वादग्रस्त आराजीयात विपक्षी संख्या एक की मौरूसी सम्पति है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मौरूस हीरा के तीन वारिस भेरा, गांगा, सवा हुए। भेरा का पुत्र विपक्षी संख्या एक मांगीलाल है, जो कि हीरा का विधिक वारिसान है। एवं उक्त हिस्सा हीरा का विधिक वारिसान होने से भेरा के नाम 1/3 एवं भेरा की मृत्यु के पश्चात विपक्षी मांगीलाल के नाम 1/3 हिस्से दर्ज हुई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार विपक्षी संख्या एक मांगीलाल अपने पिता भेरा का एवं भेरा जी हीरा के प्राकृतिक पुत्र की श्रेणी के होकर विधिक वारिस है। सहवन से भेरा के पिता का नाम नाथू दर्ज हो जाने से दत्ताक पुत्र नहीं माना जा सकता है। हिन्दु दत्तक ग्रहण अधिनियम अनुसार दत्ताक लेने की कोई विधिक प्रक्रियाएँ नहीं अपनाई जाती है तब तक कोई भी व्यक्ति दत्ताक पुत्र नहीं कहलाता है। वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षी संख्या एक 1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। पूर्व हुए उक्त समझौते में वादग्रस्त आराजीयात सम्मिलित नहीं होने से वह समझौता विपक्षी पर लागु नहीं हो सकता है। योग्य अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक ने अपने कथनों के समर्थन में 2017(3) WLN 254(Raj.), 2020(2) RRT 617, 2013(1) RRT 113, 2013(1) RRT 123 एवं 2016(1) RRT 377 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए

उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर

न्यायिक दृष्टांतों का आद्योपांत ससम्मान अध्ययन किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा
प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य प्रकरण पर पूर्णत लागू नहीं होते है। उभयपक्ष
अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजीयात हीरा के नाम दर्ज थी। हीरा
के तीन पुत्र भेरा गांगा तथा सवा हुए। वादीगण स्वर्गीय गांगा के वारिस एवं विपक्षी
संख्या 1 भेरा के वारिस है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के नाम 1/3, विपक्षी
संख्या एक भेरा के नाम 1/3 एवं सवा के नाम 1/3 हिस्से से दर्ज रिकार्ड है।
प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त प्रकरण में राजीनामा के अवलोकन से स्पष्ट
है कि विपक्षी संख्या एक मांगीलाल ने अपने पिता भेरा को नाथु जी के गोद जाना
स्वीकार किया गया है। तथा नाथु की मृत्यु के पश्चात नाथु की भूमि प्रार्थी के
प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 1 के जवाब में वर्णित कथनानुसार भेरा के नाम दर्ज
हुई है। भेरा की मृत्यु के पश्चात विपक्षी संख्या एक व उसके भाई चतरा के नाम
दर्ज हुई है। उपरोक्त विवेचन के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण का प्रतीत
होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का मूल वाद विपक्षी संख्या एक के विरुद्ध
1/2 हिस्से का प्रार्थीगण एवं 1/2 हिस्से का विपक्षी संख्या 2 को खातेदार
काश्तकार घोषित किए जाने का प्रस्तुत किया गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात
में विपक्षी संख्या एक के नाम दर्ज 1/3 भूमि का विपक्षी संख्या एक द्वारा विक्रय
कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या एक को इस आशय की अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद प्रकरण संख्या 77/2020 अनवान
तारी बनाम मांगीलाल के निस्तारण (तावाद) तक राजस्व ग्राम देबारी पटवार
मण्डल देबारी तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 2418, 4135, 4158, 4176, 4177,
4179 किता 6 रकबा 0.3200 हेक्टयर पर जबरन कब्जा नहीं करें, न किसी को
विक्रय हस्तान्तरण करें, न खुर्द-बुर्द करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी
प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करें, न किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचावे, मौके
व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम
हों।

21/09/2
(प्रतिभा ...)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर